

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837 फ़ैक्स:- 0141-2742309, ईमेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II/46-51

दिनांक:- 10/07/25

आदेश

निम्नांकित अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कॉलम संख्या 6 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

क्र.स.	लिंक न.	नाम कार्मिक (सर्वश्री)	वर्तमान विभाग/कार्यालय	अतिरिक्त कार्य का विभाग/कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	12454	आशा वर्मा, सलेअ-II	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, विभाग, चाकसू	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय उपजिला चिकित्सालय, चाकसू	सलेअ-II के रिक्त पद का
2	9922	रानु सुवालका, सलेअ-II	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (एसबी), गृह विभाग, उदयपुर	कोषालय, उदयपुर	जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.) के आदेश क्रमांक 112 दिनांक 10.02.2025 अनुमोदित (सलेअ-II के रिक्त पद का)
3	10217	नीलम जैन, सलेअ-II	उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, उदयपुर	कोषालय, उदयपुर	
4	11027	नरेश राजपुरोहित, सलेअ-II	उप वन संरक्षक, वन विभाग, जोधपुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर-प्रथम	सलेअ-II के रिक्त पद का
5	10432	कल्पेश वैष्णव, सलेअ-II	अधिक्षापी अभियंता बांध खण्ड प्रथम साईट, माही बांध, बांसवाड़ा	महाप्रबन्धक, बांसवाड़ा सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि., बांसवाड़ा	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.) के आदेश क्रमांक 638 दिनांक 16.06.2025 अनुमोदित
6	12764	दीलिप कुमार गोयल, सलेअ-II	निदेशक, होम्योपैथी चिकित्सा विभाग, जयपुर	राजस्थान स्टेट मेडिसिनस प्लान्ट्स बोर्ड, जयपुर	आयुष विभाग का आदेश सं. 2022-01328 दि. 27.06.2025 अनुमोदित
7	12508	प्रेम सिंह, सलेअ-II	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, बालोतरा	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय नाहटा जिला चिकित्सालय, बालोतरा	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा के आदेश क्रमांक 1031 दिनांक 07.02.2025 अनुमोदित
8	33360	प्रदीप कुमार, सलेअ-II	उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं हनुमानगढ़	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, हनुमानगढ़	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 03.02.2025 अनुमोदित

इन्हे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

दिनांक:- 10/07/25

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II/46-51

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. संबंधित कोषाधिकारी
3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री/श्रीमती सहायक लेखाधिकारी ग्रेड II को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कर विभाग को अवगत करावें।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)